

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :-151/2019

निर्णय दिनांक:-26.06.2019

उनवान

सीताराम बनाम तहसीलदार

प्रार्थना पत्र तहत दफा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
बाबत् किये जाने पत्थरगढी

उपस्थित:- श्री नरेन्द्र कुमार जाट वकील प्रार्थी

निर्णय

पत्रावली बाबत् पत्थरगढी आराजी ख0नं0 758 शा.नं. 761 रकबा 0-08 बीघा वाके ग्राम लुहारा तह0 निवाई पेश हुयी। प्रतिपक्षी की तामिल हो चुकी है। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 128 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को 500 रूपये मौका कमिश्नर फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 758 शा.नं. 761 रकबा 0-08 बीघा वाके ग्राम लुहारा तह0 निवाई का नियमानुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने की सुनिश्चितता करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जे.पी. बैरवा

उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी निवाई